रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230063 CG-DL-E-30092021-230063

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] No. 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सा.का.िन. 676(अ)—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 434(अ), तारीख 18 जून, 2021 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 जून, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (बाइसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

5536 GI/2021 (1)

- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115क में,
- (i) उपनियम (9) के खंड (ग) में, "गैर-सड़क सुरक्षा चक्र (एनआरएससी)" शब्दों के स्थान पर, "गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी)" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) सारणी 1 के "से लागू" शीर्षक में, "1 अक्तूबर, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2022" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) उपनियम (10) के खंड (ग) में, "गैर-सड़क सुरक्षा चक्र (एनआरएससी)" शब्दों के स्थान पर, "गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी)" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आर.टी.-11028/22/2016-एमवीएल] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590(3), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.िन. 652(3), तारीख 23 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2021.

G.S.R. 676(E)—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, vide notification number G.S.R. 434 (E), dated the 18th day of June, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th June, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. **Short Title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty second Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A,
 - (i) in sub-rule (9), in clause (c), for the words "Non-Road Safety Cycle (NRSC)" the words "Non-Road Steady Cycle (NRSC)", shall be substituted,
 - (ii) in table 1, in the heading "Applicable with effect from", for the words and figures, "1st October, 2021" the words and figures" April, 2022" shall be substituted,
 - (iii) in sub-rule (10), in clause (c), for the words "Non-Road Safety Cycle (NRSC)" the words "Non-Road Steady Cycle (NRSC)" shall be substituted.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

[No. RT-11028/22/2016-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 652(E), dated the 23rd September, 2021.